

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं०-टी० ए० मिस वाद सं०- 249A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काशतकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

टुकलु सुरेन.....आवेदक / विक्रेता

बनाम

दाखिन हेम्ब्रम.....क्रेता

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

18-6-2020

विक्रेता :- टुकलु सुरेन पिता स्व० कैरा सुरेन, ग्राम-बड़ा कांकड़ा, थाना-सरायकेला जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-हो।

क्रेता :- दाखिन हेम्ब्रम पिता स्व० गेडा हेम्ब्रम, ग्राम-सिनीसिदमा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ(झारखण्ड), जाति-संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 25.02.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काशतकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता दाखिन हेम्ब्रम पिता स्व० गेडा हेम्ब्रम, ग्राम-सिनीसिदमा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना / थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
बड़ाकांकड़ा	सरायकेला / 258	126	60	0.20ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 395 दिनांक 20.04.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पितामह रांशी हो के नाम से खतियान में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास 2 एकड़ से अधिक भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-'हो' एवं 'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।


न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता टुकलू सुरेन पिता स्व0 कैरा सुरेन, ग्राम-बडा कांकड़ा, थाना-सरायकेला जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता दाखिन हेम्ब्रम पिता स्व0 गेडा हेम्ब्रम, ग्राम-सिनीसिदमा, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा-0.20एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,



भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।

  
18/06/2020  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।